

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक अपील संख्या 7953 वर्ष 2022

पुनीत

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ताओं के वकील: आकाश द्विवेदी, दिनेश कुमार शर्मा, राजीव लोचन शुक्ला, विनय कुमार;

प्रतिवादी के वकील: जी.ए., शिव बहादुर सिंह, सुनील कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 43

माननीय न्यायमूर्ति श्री सलिल कुमार राय
माननीय न्यायमूर्ति श्री विनय कुमार द्विवेदी

(माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी द्वारा दिया गया)

1. यह आपराधिक अपील अभियुक्त-अपीलकर्ता पुनीत द्वारा गौतम बुद्ध नगर के माननीय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम) द्वारा दिनांक 29.08.2022 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ता को सत्र परीक्षण संख्या 536/2019 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पुनीत), जो कि अपराध संख्या 1025/2018 से संबंधित है, धारा 302/34 आईपीसी के तहत, पुलिस स्टेशन दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर में, और सत्र परीक्षण संख्या 537/2019 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पुनीत), जो कि अपराध संख्या 374/2019 से संबंधित है, धारा 25/27 शस्त्र अधिनियम के तहत, पुलिस स्टेशन दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर में, में दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।
2. गौतम बुद्ध नगर स्थित माननीय विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम) ने उक्त निर्णय एवं आदेश द्वारा अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास तथा 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया तथा जुर्माना न भरने की स्थिति में एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अपीलकर्ता को शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के अंतर्गत भी दोषी ठहराया गया और उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया तथा जुर्माना न भरने की स्थिति में पंद्रह दिन का अतिरिक्त कारावास

भुगतना होगा। दिनांक 29.08.2022 के उक्त निर्णय एवं दोषसिद्धि एवं सजा के आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष यह आपराधिक अपील दायर की है।

3. अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता महेश भाटी, जो लुहारली गांव के निवासी हैं, ने बताया कि 27.11.2018 को उनका बेटा मोहित भाटी, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण से घर लौट रहा था। शाम लगभग 7:00 बजे, वसंतपुर गांव (नया गांव) के पास, मोहित को अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार दी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। आगे आरोप है कि मृतक की कार, जिसका पंजीकरण नंबर UP16 BE-7011 है, घटनास्थल पर खड़ी पाई गई। घटना की सूचना शिकायतकर्ता के छोटे बेटे को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दी गई। घायल मोहित भाटी को नवीन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
4. मुखबिर महेश भाटी (पीडब्ल्यू-1) द्वारा प्रस्तुत दिनांक 27.11.2018 की लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श का-1) के आधार पर, दिनांक 27.11.2018 की प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श का-4) पुलिस स्टेशन दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर में धारा 302 आईपीसी के तहत केस अपराध संख्या 1025/2018 के रूप में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की गई थी।
5. जांच अधिकारी रामसेन सिंह (गवाह-9) ने जांच का जिम्मा संभाला। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, खून से सनी मिट्टी और साधारण मिट्टी के नमूने एकत्र किए और बरामदगी ज्ञापन तैयार किया। उन्होंने घटनास्थल पर खड़ी एक कार को सुमित भाटी, जो मुखबिर महेश भाटी (गवाह-1) का पुत्र और मृतक मोहित भाटी का भाई था, को सौंपने का सुपुर्दगीनामा (प्रदर्श का-2) भी तैयार किया। जांच अधिकारी रामसेन सिंह (गवाह-9) ने सब इंस्पेक्टर ब्रज सिंह यादव (गवाह-8) से पंचायत रिपोर्ट और अन्य पुलिस दस्तावेज, जैसे चालान, मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार करवाए। आवश्यक दस्तावेज तैयार करने के बाद, मृतक मोहित भाटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
6. जांच अधिकारी रामसेन सिंह (गवाह-9) ने घटनास्थल का स्थल मानचित्र (प्रदर्श क-11) तैयार किया। उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके बाद, प्रथम जांच अधिकारी रामसेन सिंह (गवाह-9) का तबादला हो गया और मामले की जांच निरीक्षक नीरज मलिक (गवाह-10) ने संभाली। द्वितीय जांच

अधिकारी नीरज मलिक (गवाह-10) ने भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत गवाहों के बयान दर्ज किए।

7. द्वितीय जांच अधिकारी, नीरज मलिक (गवाह-10) ने 31.03.2019 को आरोपी-अपीलकर्ता पुनीत को गिरफ्तार किया और उसके पास से 32 बोर की एक देसी पिस्तौल, 32 बोर के दो जिंदा कारतूस और पंजीकरण संख्या यूपी16 सीए-1156 वाली सफेद रंग की एक स्विफ्ट कार बरामद की। उन्होंने फर्दबारमदगी (प्रदर्शित का-13) तैयार की। 32 बोर की देसी पिस्तौल और 32 बोर के दो जिंदा कारतूस बरामद होने के आधार पर, आरोपी-अपीलकर्ता पुनीत के खिलाफ दादरी पुलिस स्टेशन, जिला गौतम बुद्ध नगर में शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत मामला संख्या 374/2019 दर्ज किया गया।
8. मृतक मोहित भाटी के शव से 1.5 x 0.9 सेंटीमीटर आकार की एक गोली बरामद की गई। बरामद गोली और 32 बोर की देसी पिस्तौल के साथ 32 बोर के दो जिंदा कारतूस जांच के लिए उत्तर प्रदेश, आगरा स्थित फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए। जांच की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, द्वितीय जांच अधिकारी, नीरज मलिक (गवाह-10) ने आरोपी-अपीलकर्ता पुनीत के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत आरोप पत्र (प्रदर्श का-12) प्रस्तुत किया।
9. सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह (गवाह-11) ने धारा 25/27 शस्त्र अधिनियम के तहत मामला संख्या 374/2019 की जांच की। जांच अधिकारी महेंद्र सिंह (गवाह-11) ने धारा 161 दंड प्रक्रिया के तहत अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने सहित सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, उस स्थान का स्थल मानचित्र तैयार किया, जहां आरोपी-अपीलकर्ता पुनीत को 32 बोर की देसी पिस्तौल और 32 बोर के दो जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया था। सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, गवाह-11 ने आरोपी-अपीलकर्ता पुनीत के खिलाफ धारा 25/27 शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप पत्र (प्रदर्श क-15) प्रस्तुत किया।
10. डॉ. ललित कुमार सिंह (गवाह-6) ने मृतक मोहित भाटी का पोस्टमार्टम 28.11.2018 को किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श क-3) तैयार की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

"प्रवेश घाव

- I. प्रवेश घाव का आकार 1 x 1 सेमी x मस्तिष्क तक गहरा, बाएँ हाथ से होते हुए खोपड़ी के पीछे, बाएँ कान के 5 सेमी पीछे तक जाता है। घाव के चारों ओर 3 x 3

- सेमी आकार के काले निशान, टैटू और झुलसाने के निशान (गोल किनारा) हैं, जिनके किनारे उल्टे हैं।
- II. छाती के बाईं ओर (स्टर्नल क्षेत्र) पर 1 x 1 सेमी आकार का प्रवेश छिद्र घाव, बाएं निप्पल से 9 सेमी की दूरी पर 10 बजे की स्थिति में, गोलाकार किनारा और अंदर की ओर मुड़े हुए कोने। आसपास 3 x 3 सेमी आकार के क्षेत्र में कालापन, टैटू और निशान हैं।
- III. प्रवेश घाव का आकार 1 x 1 सेमी और गहराई गुहा जैसी है, जो छाती के सामने बाईं ओर, बाईं बगल से 6 सेमी ऊपर और अंदर की ओर स्थित है। किनारों पर घाव और छेद हैं, और किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए हैं। आसपास के क्षेत्र में 2 x 2 सेमी आकार का टैटू, कालापन और निशान बने हुए हैं।

निकास घाव

- I. इस घाव का निकास द्वार चेहरे के दाहिनी ओर, दाहिनी आंख से 2 सेंटीमीटर नीचे स्थित है। इसका आकार 2 x 2 इंच है और किनारे बाहर की ओर मुड़े हुए हैं।
- II. छाती के पीछे बाईं ओर 2 x 2 सेमी आकार का निकास घाव, सी7 कशेरुका के किनारों से 26 सेमी नीचे, बाहर की ओर मुड़ा हुआ।
- III. छाती के पीछे बाईं ओर, बगल के स्तर पर, 2 x 2 आकार का एक निकास घाव है, जो बाईं बगल से 7 सेमी x 7 सेमी मध्य और ऊपर (दूर) की ओर स्थित है। निकास घाव में एक गोली फंसी हुई है।
11. चूंकि यह मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले को सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया।
12. माननीय निचली अदालत ने 30.09.2021 को अभियुक्त-अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 302/34 आईपीसी के तहत आरोप तय किए। अभियुक्त-अपीलकर्ता ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमे की मांग की।
13. निचली अदालत के अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निचली अदालत द्वारा 11.12.2019 को पारित आदेश के आलोक में, आरोपी गौरव को किशोर घोषित किया

गया था और उसकी फाइल को अलग करके गौतम बुद्ध नगर स्थित किशोर न्याय बोर्ड को सुनवाई के लिए भेज दिया गया था।

14. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में बारह गवाह पेश किए, जिनमें मुखबिर महेश भाटी (प्रत्यक्षदर्शी-1), चंद्रहास (प्रत्यक्षदर्शी-2), सुमित भाटी (प्रत्यक्षदर्शी-3), कृष्णा (प्रत्यक्षदर्शी-4), अमित (प्रत्यक्षदर्शी-5), डॉ. ललित कुमार सिंह (प्रत्यक्षदर्शी-6), मुरारी लाल (प्रत्यक्षदर्शी-7), ब्रज सिंह यादव (प्रत्यक्षदर्शी-8), रामसेन सिंह (प्रत्यक्षदर्शी-9), नीरज मलिक (प्रत्यक्षदर्शी-10), महेंद्र सिंह (प्रत्यक्षदर्शी-11) और साहिल कुमार (प्रत्यक्षदर्शी-12) शामिल हैं। मौखिक साक्ष्य के अलावा, अभियोजन पक्ष ने प्रदर्शक-1 से प्रदर्शक-15 तक के दस्तावेजी साक्ष्यों पर भी भरोसा किया।

15. सभी अभियोजन गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने के बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी-अपीलकर्ता पुनीत का बयान दर्ज करने के लिए 21.04.2022 की तारीख तय की। हालांकि, अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्न संख्या 1 से 18 तक पहले से टाइप किए गए थे और प्रत्येक प्रश्न के नीचे उत्तर दर्ज करने के लिए खाली स्थान छोड़ा गया था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी-अपीलकर्ता पुनीत का बयान दर्ज करने के लिए ये प्रश्न छह पृष्ठों में तैयार किए गए थे, जिनके पेपर नंबर 21क/1 से 21क/3 तक थे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि केवल आरोपी के व्यक्तिगत विवरण, अर्थात् उसका नाम, आयु, पिता का नाम, पेशा और पता ही भरे गए थे। इसके अलावा, पेपर नंबर 21क/1 से 21क/3 में आरोपी का कोई उत्तर दर्ज नहीं किया गया था, और प्रश्न संख्या 1 से 18 के उत्तरों के लिए निर्धारित कॉलम पूरी तरह से खाली हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर केवल आरोपी-अपीलकर्ता के हस्ताक्षर हैं, साथ ही गौतम बुद्ध नगर स्थित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी के आद्याक्षर और अंतिम पृष्ठ पर दिनांक 21.04.2022 को पूर्ण हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यद्यपि धारा 313 सीआरपीसी के तहत प्रश्न तैयार किए गए थे, फिर भी पीठासीन अधिकारी द्वारा आरोपी-अपीलकर्ता के उत्तर दर्ज नहीं किए गए थे।

16. अभियुक्त-अपीलकर्ता ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। निचली अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का मूल्यांकन किया और अपीलकर्ता को धारा 302/34 आईपीसी और धारा 25/27 शस्त्र अधिनियम के

तहत दोषी पाया। निचली अदालत ने अपीलकर्ता को धारा 302/34 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना न भरने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास। निचली अदालत ने अपीलकर्ता को धारा 25/27 शस्त्र अधिनियम के तहत तीन साल के कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई, जुर्माना न भरने पर पंद्रह दिन का अतिरिक्त कारावास। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। दिनांक 29.08.2022 के फैसले और सजा के आदेश से असंतुष्ट होकर, अभियुक्त-अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष यह आपराधिक अपील दायर की है।

17. अभियुक्त-अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि आदेश अनुमानों और अटकलों पर आधारित है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त-अपीलकर्ता के विरुद्ध अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। निचली अदालत ने साक्ष्यों को पूरी तरह से गलत समझा और अभियुक्त-अपीलकर्ता के विरुद्ध दोषसिद्धि का गलत फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में कई महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं, लेकिन निचली अदालत ने इन विरोधाभासों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अभियुक्त-अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला और दोषसिद्धि पूरी तरह से अनुचित है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता घटना में शामिल नहीं था। अभियोजन पक्ष द्वारा दिखाई गई कथित बरामदगी झूठी और मनगढ़ंत है। अपीलकर्ता निर्दोष है और उसे ग्रामीण राजनीति और चुनावी प्रतिद्वंद्विता के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। निचली अदालत ने अभियुक्त-अपीलकर्ता के विरुद्ध साक्ष्यों का गलत मूल्यांकन किया है।

18. अभियुक्त-अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी निवेदन किया है कि मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता कथित अपराध में संलिप्त नहीं था। यद्यपि, निचली अदालत ने अभियोजन साक्ष्यों को गलत ढंग से पढ़कर और उनका गलत मूल्यांकन करके तथा कानून के स्थापित सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर अभियुक्त-अपीलकर्ता को कथित अपराध का दोषी ठहराया है। उपरोक्त तर्कों के मद्देनजर, अभियुक्त-अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने निवेदन किया है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई यह अपील स्वीकार की जानी चाहिए तथा निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा का निर्णय रद्द किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

19. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान एजीए और शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि निचली अदालत ने सभी अभियोजन साक्ष्यों का अध्ययन और विश्लेषण करने के बाद आरोपी-अपीलकर्ता को कथित अपराध के लिए दोषी ठहराया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों - मुखबिर महेश भाटी (पीडब्ल्यू-1), चंद्रहास (पीडब्ल्यू-2), सुमित भाटी (पीडब्ल्यू-3), कृष्णा (पीडब्ल्यू-4), अमित (पीडब्ल्यू-5) - के साक्ष्यों से आरोपी-अपीलकर्ता के विरुद्ध प्रत्यक्ष साक्ष्य रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं। 32 बोर की एक देसी पिस्तौल और 32 बोर के दो जिंदा कारतूसों की बरामदगी तथा उत्तर प्रदेश, आगरा स्थित फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से इस मामले में अपीलकर्ता की प्रत्यक्ष संलिप्तता संदेह से परे सिद्ध होती है। शव परीक्षण के दौरान मृतक मोहित भाटी के शरीर से बरामद गोली उसी देसी पिस्तौल से चलाई गई पाई गई, जो आरोपी-अपीलकर्ता पुनीत के कब्जे से बरामद हुई थी। यह भी कहा गया है कि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के बीच पहले से ही दुश्मनी और प्रतिद्वंद्विता थी।

20. पुराने द्वेष और ग्राम-संबंधी प्रतिद्वंद्विता के कारण, मृतक की हत्या आरोपी-अपीलकर्ता पुनीत ने सुनियोजित ढंग से की थी। निचली अदालत ने साक्ष्यों का सही आकलन करते हुए और सभी प्रासंगिक कानूनों को लागू करते हुए अपीलकर्ता को कथित अपराध का दोषी ठहराया है। परिणामस्वरूप, आरोपी-अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई आपराधिक अपील में कोई दम नहीं है और इसलिए इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

21. दोनों पक्षों के उपरोक्त तर्कों और प्रतिवादों के आलोक में, हमने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों का अध्ययन किया है। हमने गौतम बुद्ध नगर के माननीय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम) द्वारा दिनांक 29.08.2022 को पारित दोषसिद्धि और सजा के निर्णय और आदेश का भी अवलोकन किया है।

22. दिनांक 27.11.2018 की लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) के अवलोकन से पता चलता है कि मृतक मोहित भाटी, जो मुखबिर महेश भाटी (गवाह-1) का पुत्र था, 27.11.2018 को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण से घर लौट रहा था। शाम लगभग 7:00 बजे, वसंतपुर गांव (नया गांव) के पास, मोहित को अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार दी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि मृतक की कार, जिसका पंजीकरण क्रमांक यूपी16 बीई-7711 है, घटनास्थल पर खड़ी/पार्क की हुई पाई गई। लिखित रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया है कि हत्या की सूचना मुखबिर के छोटे बेटे सुमित भाटी को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा

दी गई थी। घायल मोहित भाटी को नवीन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अतः, कथित घटना के बाद मुखबिर महेश भाटी (गवाह-1) द्वारा दर्ज कराई गई लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श का-1) के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि मुखबिर ने अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। लिखित रिपोर्ट में किसी को भी आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है। अपने पुत्र मोहित भाटी की हत्या की सूचना मुखबिर को अपने छोटे पुत्र के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसने इसे किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त किया था।

23. मुख्य गवाही में, मुखबिर महेश भाटी (गवाह-1) ने बयान दिया है कि "घटना 27.11.2018 को हुई थी। घटना शाम 7:00 बजे घटी। घटना वसंतपुर के नया गाँव के पास हुई। मुझे घटना की सूचना मेरे बेटे सुमित ने दी। मेरे बेटे के पास क्विड कार थी, जिसका नंबर यूपी16 बीई-7711 था। मैं घटना स्थल पर नहीं पहुंचा। मोहित को मेरा छोटा बेटा और उसका दोस्त दादरी के नवीन अस्पताल ले गए। सूचना मिलते ही मैं दादरी के नवीन अस्पताल पहुंचा। मैंने अस्पताल में अपने बेटे मोहित को देखा। मेरे बेटे मोहित को कनपटी (सिर के किनारे) और सीने में गोली लगी थी। मैंने महिपाल भाटी से लिखित रिपोर्ट (तहरीर) तैयार करवाई और उस पर हस्ताक्षर किए। गवाह ने शिकायत पत्र (कागज संख्या 4ए/3) पर हस्ताक्षरों की पहचान की। कागज संख्या 4ए/3 को प्रदर्श क-1 के रूप में चिह्नित किया गया। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की और मेरा बयान दो बार दर्ज किया। मेरे भाई उमेश ने भी मुझे बताया कि वह कुछ सामान लाने अजयबपुर गया था। सामान लेकर लौटते समय उसने देखा कि नया गाँव के मोड़ पर मोहित की गाड़ी आगे खड़ी थी और उसके पीछे पुनीत की गाड़ी खड़ी थी। पुनीत स्टीयरिंग सीट पर बैठा था और मोहित उसके बगल में बैठा था, जबकि बाकी लोग गाड़ी के पीछे बैठे थे। गाड़ी में शराब पी जा रही थी। जैसे ही वह दस कदम आगे बढ़ा, उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पुनीत ने मोहित को गोली मार दी थी। उसने इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी थी।

24. पूछताछ के दौरान मुखबिर महेश भाटी (गवाह-1) ने बताया कि गांव के कई लोग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे, लेकिन चंद्रहास पुलिस स्टेशन नहीं गया। उसने आगे कहा, "मैंने पुलिस को यह बयान नहीं दिया कि 'अज्ञात लोगों ने मुझे गोली मारकर घायल कर दिया।' अगर यह बात मेरे बयान में लिखी है, तो मैं इसका कारण नहीं बता

सकता; कि पुलिस आरोपियों के साथ मिलीभगत कर रही थी, क्योंकि दादरी क्षेत्र के भाजपा विधायक आरोपी पुनीत के मामा हैं।"

25.जिरह के दौरान, मुखबिर महेश भाटी (गवाह-1) ने आगे कहा कि मैंने एफआईआर में पुनीत का नाम लिखित में दिया था, लेकिन पुलिस ने उसे आरोपी नहीं बनाया। मैंने पुलिस को अपने बयान में बताया था कि "मैंने इस हत्या के संबंध में पुनीत और उसके भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन विधायक के दबाव के कारण पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। अगर पुलिस ने मेरे बयान में यह बात दर्ज नहीं की है, तो मैं इसका कोई कारण नहीं बता सकता। मैंने पुलिस को यह बयान दिया था कि 'मेरे भाई उमेश ने मुझे बताया कि उसने मोहित को गोली मारी थी।' अगर पुलिस ने मेरे बयान में यह बात दर्ज नहीं की है, तो मैं इसका कोई कारण नहीं बता सकता। क्योंकि पुलिस दबाव में थी।"

26.मुखबिर महेश भाटी (गवाह-1) द्वारा दिए गए साक्ष्य के आलोक में, प्रथम जांच अधिकारी रामसेन सिंह (गवाह-9) के साक्ष्य का अध्ययन करना आवश्यक है। रामसेन सिंह (गवाह-9) के साक्ष्य के अध्ययन से पता चलता है कि 15.12.2018 को महेश भाटी, चंद्रहास, बेग राज, सुभाष नागर, सतीश भाटी और जयवीर सिंह के बयान गवाह-9 द्वारा दर्ज किए गए थे। जिरह के दौरान, इस गवाह ने कहा कि "महेश के पुत्र सुमित का बयान दर्ज करने के बाद, मुझे पता चला कि सुमित को मोहित की हत्या के संबंध में एक ब्राह्मण (पंडित) और एक गुर्जर लड़के से सूचना मिली थी। मैंने सूचना देने वाले उक्त पंडित और गुर्जर लड़के की तलाश करने का कोई प्रयास नहीं किया।"

27.अपनी जिरह में, प्रथम जांच अधिकारी, रामसेन सिंह (पीडब्ल्यू-9) ने आगे कहा कि "मैंने मुखबिर महेश और गवाह चंद्रहास, रामपाल के पुत्र, के बयान 15.12.2018 को दर्ज किए थे। मैंने चंद्रहास, रामपाल के पुत्र, का बयान 15.12.2018 से पहले दर्ज न करने का कोई कारण केस डायरी में दर्ज नहीं किया है। मैंने मुखबिर महेश का बयान 29.11.2018 से पहले दर्ज न करने का भी कोई कारण दर्ज नहीं किया है। 08.01.2019 को, मैंने गवाह कृष्णा, चंद्रहास के पुत्र, और अमित, राजेंद्र के पुत्र, के बयान दर्ज किए। उनके बयान 08.01.2019 से पहले दर्ज नहीं किए गए थे क्योंकि उनके बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी; उन्होंने स्वयं कहा कि उनके विवरण सामने आने के बाद उनके बयान दर्ज किए गए। 08.01.2019 को गवाह कृष्णा, चंद्रहास के पुत्र, का बयान दर्ज करने के बाद, मुझे पता चला कि पुनीत ने पुलिस स्टेशन में महेश को धमकी दी थी।"

30.03.2018. मुझे उपरोक्त धमकी के बारे में राजेंद्र के पुत्र अमित के बयान से भी पता चला। यह सही है कि पुनीत द्वारा महेश को धमकी देने का मामला किसी भी पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। गवाह चंद्रहास, रामपाल के पुत्र ने मुझे यह बयान दिया कि; साहब, दिनांक 27.11.2018 को किसी ने गांव के महेश के पुत्र मोहित की गोली मारकर हत्या कर दी। यह सुनकर मैं भी नवीन अस्पताल, दादरी गया, जहां शव रखा गया था। मैं महेश के साथ पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज कराने गया था। आगे, अपनी जिरह में, प्रथम जांच अधिकारी, रामसेन सिंह (पीडब्ल्यू-9) ने कहा है कि "सूचना देने वाले गवाह महेश ने मुझे यह बयान दिया कि शाम लगभग 7:00 बजे अज्ञात लोगों ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया।"

28.अतः, मुखबिर महेश भाटी (गवाह-1) और प्रथम जांच अधिकारी रामसेन सिंह (गवाह-9) के साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि महेश भाटी कथित घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं। घटना को मुखबिर महेश भाटी (गवाह-1) ने नहीं देखा था। कथित घटना की सूचना गवाह-1 को उनके छोटे बेटे सुमित भाटी ने दी थी। गवाह-1 के अनुसार, एक पंडित और एक गुर्जर लड़के ने सुमित को घटना की सूचना दी थी। गवाह-1 को घटना की सूचना मिलने के बाद वे घटनास्थल पर नहीं गए। वे दादरी स्थित नवीन अस्पताल गए, जहाँ उनके मृत पुत्र मोहित का शव रखा गया था। लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श का-1) गवाह-1 द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराई गई थी, हालांकि, अपने साक्ष्य दर्ज करने के दौरान, गवाह-1 ने आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ एक नया सिद्धांत पेश करते हुए कहा कि उसके भाई उमेश भाटी ने उसे बताया था कि उसने मोहित भाटी पर आरोपी-अपीलकर्ता पुनीत द्वारा गोलीबारी की आवाज सुनी और देखी थी।

29.इस गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि धारा 161 दंड प्रक्रिया के तहत जांच अधिकारी को दिए गए अपने बयान में इस गवाह ने किसी भी व्यक्ति को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया है। धारा 161 दंड प्रक्रिया के तहत जांच अधिकारी को दिए गए अपने बयान में इस गवाह ने आरोपी-अपीलकर्ता पुनीत का नाम नहीं लिया है और न ही उसके विरुद्ध कोई संदेह व्यक्त किया है। लेकिन न्यायालय में उसके साक्ष्य दर्ज करने के समय, इस गवाह ने वह बयान दिया, जो उसने धारा 161 दंड प्रक्रिया के तहत जांच अधिकारी को दिए गए अपने बयान में नहीं दिया था।

30.गवाह संख्या 1 के साक्ष्य के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि इस गवाह ने जानबूझकर अदालत में अपने बयान में सुधार और बदलाव किया और अदालत में एक नया बयान

दिया, जिसके द्वारा उसने आरोपी-अपीलकर्ता पुनीत को कथित अपराध में फंसाने का प्रयास किया। इसके अलावा, प्रथम जांच अधिकारी रामसेन सिंह (गवाह संख्या 9) के साक्ष्य से यह तथ्य पूरी तरह से पुष्ट होता है कि इस गवाह ने धारा के तहत जांच अधिकारी को दिए गए अपने बयान के विरुद्ध अदालत में अपना बयान बदल दिया है। धारा 161 सीआरपीसी के तहत, इस गवाह ने आरोपी-अपीलकर्ता पुनीत को इस मामले में फंसाने के लिए एक नई अभियोजन कहानी गढ़ने का भरसक प्रयास किया। हालांकि, प्रथम जांच अधिकारी रामसेन सिंह (पीडब्ल्यू-9) के साक्ष्य के आलोक में इस गवाह के समग्र साक्ष्य का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि इस गवाह ने झूठे और मनगढ़ंत तथ्य बताए हैं। इस गवाह के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि इसमें प्रमुख और महत्वपूर्ण विरोधाभास मौजूद हैं, जो अभियोजन कहानी के विरुद्ध हैं। अतः, हम पाते हैं कि इस गवाह के साक्ष्य में कोई प्रासंगिकता और सत्यता नहीं है। इस गवाह का साक्ष्य पूरी तरह अविश्वसनीय और भरोसे के लायक नहीं है।

31. अभियोजन पक्ष ने चंद्रहास को गवाह-2 के रूप में पेश किया। इस गवाह ने अपनी मुख्य गवाही में कहा है कि "घटना शाम लगभग 6:00 से 6:30 बजे के बीच घटी। अंधेरा हो चुका था। मैं अपनी मौसी के गाँव दादूपुर से लौट रहा था। एक लड़के ने मुझे मोटरसाइकिल पर अजयबपुर स्टेशन पर छोड़ा। वहाँ से मैं अपने गाँव की ओर पैदल चलने लगा। मैंने सड़क पर दो कारें खड़ी देखीं। मोहित और पुनीत एक कार में बैठे थे। पुनीत ड्राइवर की सीट पर और मोहित यात्री (कंडक्टर) की सीट पर था। मैंने उनसे बात नहीं की। मैं गाँव की ओर मुश्किल से 10-20 कदम ही चला था कि मुझे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो पुनीत ने मोहित को दो बार गोली मार दी थी। डर के मारे मैं गाँव की ओर भागा। गाँव पहुँचने से पहले ही वहाँ शोर-शराबा मच गया था। मुझे नहीं पता कि कौन सी कार चली गई, लेकिन पुनीत की कार जा चुकी थी। गाँव में अफरा-तफरी मचने के बाद, मैं महेश के घर घटना के बारे में बताने नहीं गया। मैं पुलिस स्टेशन गया और..." शवगृह। मेरी उपस्थिति में पंचायतनामा भरा गया। मैंने मोहित का शव देखा। मोहित के सीने में दो और गर्दन में एक गोली लगी थी। उस दिन मेरी महेश से कोई बातचीत नहीं हुई क्योंकि वह बेहोश था। मैंने पुलिस को उक्त घटना के बारे में सब कुछ बता दिया था। पुलिस विधायक के दबाव में थी।

32. अपनी जिरह में चंद्रहास (गवाह-2) ने कहा है कि "मोहित के साथ हुई घटना से पहले मैं नौकरी में था। नौकरी के दौरान मेरे पास फोन नहीं था। मुझे पता है कि हत्या एक

अपराध है। मोहित के साथ हुई घटना के संबंध में मैंने कहीं भी कोई फोन कॉल नहीं किया। मैंने इस घटना के सिलसिले में न तो अपने और न ही महेश के रिश्तेदारों को फोन किया, और मैंने खुद कहा था कि मुझे फोन चलाना नहीं आता। मैंने पुलिस को यह नहीं बताया कि मुझे फोन करना नहीं आता, और न ही पुलिस ने मुझसे इस बारे में पूछा। इस बात को न बताने का मैं कोई कारण नहीं बता सकता। मोहित के साथ हुई घटना के बाद मैं साढ़े चार महीने तक अपने गांव में घर पर रहा। उन साढ़े चार महीनों के दौरान मोहित की हत्या के सिलसिले में पुलिस कई बार गांव आई। यह कहना गलत है कि साढ़े चार महीने बाद मैं मोहित की हत्या के संबंध में पुनीत के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं था। उसने खुद कहा कि घटना होने के बाद उसने पुलिस और महेश को इसकी जानकारी दी थी। मैं गया था..." मैं महेश के साथ दादरी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने गया था। महेश ने रिपोर्ट वहीं स्टेशन पर लिखी। महेश ने रिपोर्ट बोलकर लिखवाई। यह कहना गलत है कि रिपोर्ट दर्ज कराते समय महेश बेहोश नहीं था। मोहित के शव के पंचन (पंचायतनामा) के लिखित दस्तावेज में मैं भी पंच था। मेरे अलावा कई अन्य पंच भी थे। पुलिस ने हम पंचों से कोई राय नहीं ली। शव के पंचन (पंचायतनामा) के समय मैंने पुलिस को घटना के बारे में सब कुछ बता दिया था। अगर पुलिस ने मोहित की हत्या के संबंध में पंचायतनामा में मेरे द्वारा बताई गई बातें नहीं लिखी हैं, तो मैं इसका कोई कारण नहीं बता सकता। पुलिस ने घटना के अगले दिन पुलिस स्टेशन में मेरा बयान दर्ज किया और फिर बाद में मुझसे दोबारा पूछताछ की। दूसरी पूछताछ घटना के 2-3 महीने बाद हुई। यह कहना गलत है कि गांव की राजनीति और चुनावी प्रतिद्वंद्विता के कारण घटना के चार महीने बाद सोच-समझकर और योजना बनाकर पुनीत को मोहित की हत्या में झूठा फंसाया गया।

33. गवाह संख्या 2 से जिरह के दौरान, बचाव पक्ष ने उनसे एक सवाल पूछा कि क्या उन्होंने पुलिस को दिए अपने पहले बयान में कहा था कि 27.11.2018 को गांव के निवासी महेश के बेटे मोहित की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और यह सुनकर वे नवीन अस्पताल, दादरी गए, जहां शव रखा हुआ था। वे महेश के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे। जवाब में, गवाह संख्या 2 ने कहा कि ये तथ्य उनके बयान का हिस्सा नहीं थे और उन्होंने पुलिस को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। उन्होंने आगे कहा कि अगर पुलिस ने उनके बयान में ये तथ्य दर्ज किए हैं, तो वे इसका कोई कारण नहीं बता सकते। गवाह संख्या 2 ने 16.04.2019 के अपने

दूसरे बयान में यह कहने से भी इनकार किया कि 50-60 कदम आगे बढ़ने पर उन्होंने 3-4 गोलियों की आवाज सुनी थी। उन्होंने यह भी इनकार किया कि घर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि मोहित को गोली लगी है और उन्हें नवीन अस्पताल, दादरी ले जाया गया था। उन्होंने दोहराया कि यदि पुलिस ने उनके बयान में इन तथ्यों को दर्ज किया है, तो वे इसका कारण स्पष्ट नहीं कर सकते।

34. चंद्रहास (गवाह-2) द्वारा दिए गए उपरोक्त साक्ष्य के आलोक में, जांच अधिकारी के साक्ष्य का अध्ययन करना उचित होगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या यह गवाह न्यायालय में अपने साक्ष्य के दौरान घटना के बारे में सही तथ्य बता रहा है या नहीं।

35. प्रथम जांच अधिकारी, रामसेन सिंह (पीडब्ल्यू-9) ने अपनी जिरह में बयान दिया है कि "मैंने मुखबिर महेश और गवाह चंद्रहास, रामपाल के पुत्र, के बयान 15.12.2018 को दर्ज किए थे। मैंने चंद्रहास, रामपाल के पुत्र, का बयान 15.12.2018 से पहले दर्ज न करने का कोई कारण केस डायरी में दर्ज नहीं किया है।"

36. द्वितीय जांच अधिकारी, नीरज मलिक (गवाह-10) ने अपनी जिरह में कहा है कि "गवाह चंद्रहास ने मुझे यह बयान दिया था कि जब वह लगभग 50-60 गज आगे पहुंचा, तो उसे तीन-चार गोलियों की आवाज सुनाई दी। गवाह चंद्रहास ने यह भी बयान दिया था कि घर पहुंचने पर उसे पता चला कि मोहित को गोली लगी है और उसे नवीन अस्पताल ले जाया गया है। गवाह चंद्रहास ने अपने बयान में यह नहीं बताया कि जब वह पीछे मुड़ा, तो पुनीत ने मोहित पर दो गोलियां चलाईं। गवाह चंद्रहास ने मुझे यह बयान नहीं दिया कि पुनीत ड्राइवर की सीट पर था और मोहित कंडक्टर की सीट पर। इसके बजाय, उसने बताया कि पुनीत के अलावा, मोहित गाड़ी में बैठा था और राजेंद्र के साले का बेटा गौरव पीछे की सीट पर बैठा था। गवाह चंद्रहास ने मुझे यह बयान नहीं दिया कि मेरी उनसे कोई बातचीत हुई थी या नहीं। गवाह चंद्रहास ने मुझे यह बयान भी नहीं दिया कि वह डर के मारे गांव की ओर भागा था। इसके बजाय, उसने कहा कि वह वह सीधे गांव चला गया। गवाह चंद्रहास ने भी मुझे यह बयान नहीं दिया कि उसके पहुंचने से पहले गांव में शोर-शराबा हुआ था। इसके बजाय, उसने बयान दिया कि जब तक वह गांव पहुंचा, तब तक यह पता चल चुका था कि मोहित को गोली मार दी गई है। गवाह चंद्रहास ने यह बयान भी नहीं दिया कि गांव में भगदड़ मचने के बाद वह महेश के घर नहीं गया और उसे घटना की सूचना नहीं दी। इसके बजाय, उसने बयान दिया कि उसने डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया।

37. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के गवाहों और प्रथम जांच अधिकारी रामसेन सिंह (पीडब्ल्यू-9) तथा द्वितीय जांच अधिकारी नीरज मलिक (पीडब्ल्यू-10) के साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि चंद्रहास (पीडब्ल्यू-2) को अभियोजन पक्ष द्वारा घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, चंद्रहास (पीडब्ल्यू-2) के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि यद्यपि अपने मुख्य बयान में पीडब्ल्यू-2 ने स्वयं को कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी बताने का प्रयास किया, लेकिन बचाव पक्ष द्वारा जिरह के दौरान, इस गवाह के उत्तरों से यह पता चलता है कि पीडब्ल्यू-2 न्यायालय में पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। इस गवाह ने न्यायालय में अपने साक्ष्य में पूरी तरह से अलग और बदला हुआ बयान दिया, जो उसने मामले के जांच अधिकारी के समक्ष धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज अपने बयान में नहीं दिया था।

38. इस गवाह ने अदालत में गवाही दर्ज कराते समय अपना बयान पूरी तरह बदल दिया। इस गवाह ने धारा 161 सीआरपीसी के तहत मामले के जांच अधिकारियों के समक्ष और अदालत में अपने बयान में जो कुछ कहा है, उससे स्पष्ट होता है कि उसके बयान में महत्वपूर्ण और बड़े विरोधाभास मौजूद हैं। इस गवाह ने अदालत में पूरी तरह से झूठी, मनगढ़ंत और बाद में गढ़ी गई अभियोजन पक्ष की कहानी सुनाई, जिससे उसने आरोपी-अपीलकर्ता को इस मामले में कथित अपराध में झूठा फंसाया। इस गवाह की झूठी गवाही, यानी अदालत में गलत और झूठे तथ्य बताना, अब इस मामले के जांच अधिकारियों के साक्ष्यों से स्पष्ट और सिद्ध हो चुका है।

39. उपरोक्त चर्चा और इस गवाह के साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर, हम कानूनी रूप से इस गवाह के साक्ष्य को सत्य और विश्वसनीय नहीं मान सकते। दूसरे शब्दों में, इस गवाह का साक्ष्य अत्यंत संदिग्ध और संदेहास्पद है। कथित घटना के बाद, अभियोजन पक्ष ने इस गवाह को प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन इस गवाह के साक्ष्य के अध्ययन से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अपने प्रयास में बुरी तरह विफल रहा है, इसलिए चंद्रहास (शपथ-2) का साक्ष्य पूरी तरह अविश्वसनीय और विश्वास के योग्य नहीं है।

40. सुमित भाटी को भी अभियोजन पक्ष द्वारा तीसरे गवाह के रूप में पेश किया गया। यह गवाह मृतक मोहित भाटी का छोटा भाई है। तीसरे गवाह ने अपने बयान में कहा है कि "मुझे शाम करीब 7:15 बजे गांव के दो लड़कों से घटना की सूचना मिली। उन्होंने मुझे बताया कि वाहन संख्या 7011 खेत के पास सड़क पर खड़ी है और मेरे भाई को गोली

मार दी गई है और वह खेत में मृत पड़ा है। मैं अपने पड़ोस के लड़के प्रदीप के साथ अपनी बाइक पर घटना स्थल के लिए निकला। रास्ते में मैंने प्रदीप के फोन से उसके पिता को फोन किया। मेरा भाई खेत में सीधा पड़ा था, उसके पैर खेत की ओर और सिर सड़क की ओर था। जिन लड़कों ने मुझे सूचना दी, उनमें से एक पंडित था और दूसरा गुर्जर। ये दोनों लड़के हमारे गांव के थे।"

41. इस प्रकार, सुमित भाटी (गवाह-3) के साक्ष्य के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यह गवाह भी कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। घटना के समय यह गवाह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। इस गवाह को अपने भाई मोहित भाटी की हत्या की सूचना गांव के दो लड़कों से मिली, जिनमें से एक पंडित और दूसरा गुर्जर था। अपने भाई मोहित भाटी की हत्या की सूचना मिलने के बाद, यह गवाह अपने गांव के प्रदीप के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और उसके शव को दादरी के नवीन अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। अतः, इस गवाह के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि यह गवाह कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। घटना के बाद, यह गवाह घटनास्थल पर पहुंचा। इस गवाह के साक्ष्य से हमें ऐसा कोई प्रासंगिक तथ्य नहीं मिला जिससे आरोपी-अपीलकर्ता को कथित अपराध से जोड़ा जा सके।

42. अभियोजन पक्ष ने कृष्णा को चौथे गवाह के रूप में पेश किया, जो चंद्रहास (दूसरे गवाह) का पुत्र है। उसके बयान से पता चलता है कि 2018 में कबड्डी के एक खेल के दौरान, उसके, दीपक और पुनीत के बीच झगड़ा हुआ था। इस गवाह के अनुसार, दोनों पक्षों ने संबंधित पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी और दोनों पक्ष जेल गए थे। उसने आगे बताया कि आरोपी पुनीत ने दादरी पुलिस स्टेशन में महेश भाटी को धमकी देते हुए कहा था कि तुम दूसरे पक्ष का साथ दे रहे हो और जेल से लौटने के बाद मैं बदला लूंगा। हालांकि, सबूतों से स्पष्ट है कि न तो इस गवाह ने और न ही महेश भाटी ने दादरी पुलिस स्टेशन में कोई लिखित या मौखिक शिकायत दर्ज कराई थी।

43. इस गवाह के बयान से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष ने सोच-समझकर और योजनाबद्ध तरीके से इस गवाह के माध्यम से आरोपी-अपीलकर्ता के साथ पुरानी दुश्मनी को गढ़ने का प्रयास किया। यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने इस गवाह का इस्तेमाल दुश्मनी का मकसद और तथ्य साबित करने के लिए किया ताकि उसकी कहानी को बल मिल सके। हालांकि, सबूतों की जांच करने पर हमें इस गवाह के बयान में कोई विश्वसनीयता या सच्चाई नहीं मिलती। उपरोक्त के मद्देनजर, इस गवाह का

बयान अभियोजन पक्ष की कहानी को कोई समर्थन नहीं दे सकता। इसलिए, इस गवाह का बयान और सबूत न तो विश्वसनीय हैं और न ही भरोसेमंद।

44. कृष्णा (गवाह-4) द्वारा बताए गए विवरण के समान ही, अभियोजन पक्ष के गवाह अमित (गवाह-5) ने भी कृष्णा (गवाह-4) द्वारा उल्लिखित पुरानी दुश्मनी का वर्णन किया। अपने साक्ष्य में, इस गवाह ने बताया कि झगड़ा कबड्डी के खेल के दौरान हुआ था, और दोनों पक्षों द्वारा आईपीसी की धारा 307 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें सूचना देने वाले महेश भाटी ने कृष्णा (गवाह-4) और अमित (गवाह-5) का समर्थन किया था। इसके कारण, पुनीत ने महेश भाटी को धमकी दी कि उसे भुगतना पड़ेगा और जेल से लौटने के बाद वह बदला लेगा। इस गवाह के अनुसार, जब पुनीत ने महेश भाटी को धमकी दी, तो उसने पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, जिरह के दौरान उसने कहा कि उसे लिखित शिकायत की कोई रसीद नहीं मिली, न ही उसने कोई प्रति रखी, और पुलिस रिकॉर्ड में शिकायत न होने का उसके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उसने यह भी कहा कि यदि पुलिस ने उसके बयान में यह तथ्य दर्ज नहीं किया है, तो वह इसका कोई कारण नहीं बता सकता।

45. इस प्रकार, अमित (गवाह-5) के साक्ष्य का अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने सोच-विचार करने के बाद न्यायालय में इस गवाह को पेश करने का प्रयास किया ताकि पक्षों के बीच पूर्व शत्रुता और झगड़े को आधार बनाकर अभियोजन पक्ष की कहानी को बल दिया जा सके। हालांकि, अमित (गवाह-5) के समग्र साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वह न्यायालय में एक मनगढ़ंत, झूठी और झूठी कहानी सुना रहा है। इसी कारण इस गवाह का साक्ष्य पूरी तरह अविश्वसनीय और विश्वास के योग्य नहीं है।

46. मुखबिर महेश भाटी (गवाह-1) द्वारा लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श का-1) दर्ज कराने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श का-4) दर्ज करने वाले हेड कांस्टेबल मुरारी लाल (गवाह-7) के साक्ष्य के अवलोकन से पता चलता है कि चहताराम का पुत्र वेजराज, सुरेंद्र का पुत्र सुभाष नगर का पुत्र चंद्रहास, और रामफल का पुत्र चंद्रहास, जो सभी ग्राम लुहारली, थाना दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर के निवासी हैं, मुखबिर महेश भाटी (गवाह-1) के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। मुखबिर महेश के साथ आए इन तीनों व्यक्तियों ने मृतक मोहित भाटी की हत्या के संबंध में मुझे कोई बयान नहीं दिया।

47. अभियोजन पक्ष के गवाह एसआई ब्रज सिंह यादव (पीडब्ल्यू-8), जिन्होंने मृतक मोहित भाटी के शव का पंचायतनामा तैयार किया था, ने जिरह के दौरान अपने साक्ष्य में कहा

है कि पंच चंद्रहास नामक गवाह ने मोहित की हत्या के संबंध में उन्हें कोई बयान नहीं दिया था।

48. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के गवाहों, जैसे कि मुखबिर महेश भाटी (पीडब्ल्यू-1), चंद्रहास (पीडब्ल्यू-2), सुमित भाटी (पीडब्ल्यू-3), कृष्णा (पीडब्ल्यू-4), और अमित (पीडब्ल्यू-5), जो ऊपर बताए गए तथ्य के गवाह हैं, के समग्र साक्ष्य के अवलोकन से, और साथ ही पुलिस गवाहों, जैसे कि मुरारी लाल (पीडब्ल्यू-7), एसआई ब्रज सिंह यादव (पीडब्ल्यू-8), प्रथम जांच अधिकारी इंस्पेक्टर रामसेन सिंह (पीडब्ल्यू-9), और द्वितीय जांच अधिकारी इंस्पेक्टर नीरज मलिक (पीडब्ल्यू-10) के अवलोकन से, यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श का-1) मुखबिर महेश भाटी (पीडब्ल्यू-1) द्वारा दादरी पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराई गई थी।

49. अभियोजन पक्ष के गवाहों, जैसे कि गवाह संख्या 1, गवाह संख्या 2, गवाह संख्या 3, गवाह संख्या 4 और गवाह संख्या 5 ने जांच अधिकारी के समक्ष धारा 161 दंड प्रक्रिया के तहत दर्ज अपने बयानों में आरोपी-अपीलकर्ता पुनीत का नाम नहीं लिया है और न ही उसे कथित अपराध में फंसाया है। यहां तक कि जांच अधिकारी के समक्ष धारा 161 दंड प्रक्रिया के तहत दर्ज अपने बयानों में भी इन गवाहों ने आरोपी-अपीलकर्ता पुनीत के प्रति किसी प्रकार का संदेह या शंका व्यक्त नहीं की है और न ही आरोपी-अपीलकर्ता पुनीत के प्रति किसी प्रकार की शत्रुता का इजहार किया है। हालांकि, न्यायालय में साक्ष्य दर्ज करते समय, उपरोक्त सभी अभियोजन गवाहों, अर्थात्, पीडब्ल्यू-1, पीडब्ल्यू-2, पीडब्ल्यू-3, पीडब्ल्यू-4 और पीडब्ल्यू-5 ने धारा 161 सीआरपीसी के तहत जांच अधिकारी के समक्ष दिए गए अपने बयानों से पूरी तरह से अपने बयान बदल दिए। न्यायालय में, साक्ष्य दर्ज करने के दौरान, उपरोक्त सभी अभियोजन गवाहों ने पूरी तरह से अलग तरीके से अपने बयानों में भारी बदलाव किया और धारा 161 सीआरपीसी के तहत जांच अधिकारी के समक्ष दिए गए अपने बयानों से मुकरते हुए न्यायालय के समक्ष संशोधित और परिवर्तित साक्ष्य प्रस्तुत किए। इन उपरोक्त अभियोजन गवाहों ने न्यायालय के समक्ष अपने बयानों में पूरी तरह से परिवर्तित बयान दिए और कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत, आरोपी-अपीलकर्ता पुनीत को कथित अपराध के लिए झूठा फंसाया।

50. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धन्ना बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1996) 10 एससीसी 79 के मामले में पैरा-12 में कहा है कि:

ट्रायल कोर्ट ने नानूराम (गवाह-6) के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए बताया कि गवाह ने जांच के दौरान पुलिस को दिए बयान में धन्ना की किसी भी भूमिका का जिक्र नहीं किया था, इसलिए ट्रायल में किए गए सुधार के आधार पर धन्ना को हत्या के अपराध में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस ठोस तर्क को हाई कोर्ट द्वारा पर्याप्त और ठोस कारण दिए बिना नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था। ऐसा कोई कारण नहीं दिया गया है। हमने साक्ष्यों की गहन जांच की है और हम भी इस बात से संतुष्ट हैं कि गवाह-6 नानूराम ने वास्तव में पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान धन्ना के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और बाद में उसने अपना बयान बदल कर पेश करने की कोशिश की।

51. इसी प्रकार, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने मुनेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य; 2004 सीआरआई.एलजे 1529 के मामले में पैरा-16 में कहा है कि:

16. हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यदि गवाह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत अपने बयानों में अभियोजन पक्ष के मामले के मूल आधार के बारे में नहीं बताते हैं और जब निचली अदालत में जिरह के दौरान, इस चूक का सामना करने पर, वे इसका कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण देने में विफल रहते हैं, जैसा कि मदन लाल गवाह संख्या 2 और सुरेश चंद्र गवाह संख्या 3 के मामले में है, तो उनकी गवाही को स्वीकार करना अत्यंत जोखिम भरा होगा, क्योंकि अदालत के मन में हमेशा यह आशंका बनी रहती है कि उन्होंने अपने साक्ष्य में कमी को भरने के लिए उसमें हेरफेर किया है। हम यह कहने में कोई संकोच नहीं करते कि आपराधिक मामलों में, गवाहों के साक्ष्य तभी स्वीकार किए जा सकते हैं, जब निचली अदालत में अभियोजन पक्ष के मामले के मूल आधार पर उनका बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत उनके बयान के अनुरूप हो और जहां ऐसा नहीं है, जैसा कि इस मामले में है, अदालत को इसे अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होगा।

52. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धन्ना (उपरोक्त) और इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा मुनेश (उपरोक्त) मामले में दिए गए कानून के आलोक में, हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष के गवाहों, अर्थात् मुखबिर मोहित भाटी (प्रत्यक्षदर्शी-1), चंद्रहास (प्रत्यक्षदर्शी-2), सुमित भाटी (प्रत्यक्षदर्शी-3), कृष्णा (प्रत्यक्षदर्शी-4) और अमित (प्रत्यक्षदर्शी-5) ने जांच के दौरान जांच अधिकारी को दिए गए अपने बयानों को

पूरी तरह से बदल दिया है और उनमें काफी सुधार किया है, और न्यायालय के समक्ष अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपने साक्ष्य में पूरी तरह से परिवर्तित और सुधारे हुए विवरण प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार, उपरोक्त सभी अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही जांच अधिकारी द्वारा मामले की जांच के दौरान दर्ज किए गए उनके बयानों के अनुरूप नहीं है। उपरोक्त के मद्देनजर, उपरोक्त अभियोजन पक्ष के गवाहों का साक्ष्य पूरी तरह से अविश्वसनीय है और इसे सीधे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

53. अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों की जांच से हमें यह भी पता चलता है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने बाद में आरोपी-अपीलकर्ता पुनीत के विरुद्ध शत्रुता की कहानी गढ़ने का प्रयास किया। हालांकि, अभियोजन पक्ष के गवाह उक्त आरोप को साबित करने में विफल रहे और उन्होंने आरोपी-अपीलकर्ता को कथित अपराध में झूठा फंसाने का प्रयास किया।

54. इस संबंध में निचली अदालत द्वारा दिए गए निष्कर्षों और तर्कों का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि निचली अदालत साक्ष्यों पर कानूनी ढंग से और साक्ष्यों के मूल्यांकन के लिए लागू कानून के स्थापित सिद्धांतों के आलोक में विचार करने में विफल रही है। इसी कारण, निचली अदालत द्वारा इस बिंदु पर दिए गए निष्कर्ष और तर्क कानून की दृष्टि से मान्य नहीं हैं और तदनुसार, इन्हें रद्द किया जाना चाहिए और इन्हें अस्वीकार किया जाता है।

55. प्रथम जांच अधिकारी, इंस्पेक्टर रामसेन सिंह (गवाह-9) के साक्ष्य से स्पष्ट है कि 9 फरवरी 2019 तक वे कथित अपराध करने वाले व्यक्ति का पता लगाने में असमर्थ रहे। इसके बाद, गवाह-9 का तबादला हो गया और मामले की जांच द्वितीय जांच अधिकारी, इंस्पेक्टर नीरज मलिक (गवाह-10) ने अपने हाथ में ले ली। द्वितीय जांच अधिकारी (गवाह-10) के साक्ष्य से स्पष्ट है कि कथित घटना के लगभग चार महीने बाद, 22 मार्च 2019 को उमेश का बयान धारा 161 दंड प्रक्रिया के तहत दर्ज किया गया और इस बयान के आधार पर पहली बार आरोपी-अपीलकर्ता पुनीत का नाम सामने आया। इसके बाद, घटना के लगभग चार महीने बाद, गवाह-10 ने 31 मार्च 2019 को आरोपी-अपीलकर्ता पुनीत को गिरफ्तार कर लिया।

56. यह भी पता चला है कि पुलिस मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, तथाकथित हत्या का हथियार, यानी 32 बोर की देसी पिस्तौल और 32 बोर के दो जिंदा कारतूस, आरोपी-अपीलकर्ता के कब्जे से बरामद किए गए थे। बरामदगी ज़ापन (प्रदर्श क-13) से पता चलता है कि हालांकि आरोपी-अपीलकर्ता की गिरफ्तारी 31.03.2019 को दर्शाई गई

है, बरामदगी ज़ापन 01.04.2019 को तैयार किया गया था, जैसा कि गवाह संख्या 10 के 01.04.2019 के हस्ताक्षर से स्पष्ट है।

57. उक्त बरामदगी ज़ापन (प्रदर्श क-13) के आधार पर, गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी पुलिस स्टेशन में शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ मामला संख्या 374/2019 के रूप में एक अलग मामला दर्ज किया गया था। मामला संख्या 374/2019 की जांच करने वाले सब-इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह (गवाह-11) ने अपनी जिरह में कहा कि आरोपी-अपीलकर्ता की गिरफ्तारी या देसी पिस्तौल और ज़िंदा कारतूसों की बरामदगी के संबंध में कोई भी सार्वजनिक गवाह गवाही देने को तैयार नहीं था। गवाह-11 ने आगे कहा कि उक्त स्थान लुहारली गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

58. अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन करने वाले किसी भी सार्वजनिक गवाह की अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि आरोपी-अपीलकर्ता की गिरफ्तारी और कथित बरामदगी स्वतंत्र पुष्टि के बिना की गई थी, जबकि गिरफ्तारी और बरामदगी का स्थान आबादी वाले क्षेत्र के निकट ही था। कथित घटना के लगभग चार महीने बाद आरोपी-अपीलकर्ता की गिरफ्तारी और ऐसी परिस्थितियों में तथाकथित हत्या के हथियार की कथित बरामदगी, अभियोजन पक्ष के मामले को अत्यधिक संदिग्ध और संदेहास्पद बनाती है।

59. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि मामले को सुलझाने और जनता तथा मुखबिर पक्ष को शांत करने के लिए पुलिस ने आरोपी-अपीलकर्ता पुनीत को झूठे आरोप में गिरफ्तार किया और उस पर कथित हथियार, अर्थात् 32 बोर की देसी पिस्तौल और 32 बोर के दो ज़िंदा कारतूस, रख दिए। परिणामस्वरूप, आरोपी-अपीलकर्ता की गिरफ्तारी और कथित बरामदगी संदेह से परे नहीं हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

60. उत्तर प्रदेश, आगरा स्थित फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि मृतक मोहित भाटी के शव से बरामद विवादित गोली (जिस पर "ईबी-1" अंकित है) 7.62×25 मिमी पिस्तौल से चलाई गई थी। फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विवादित देसी पिस्तौल (जिस पर "1/2021" अंकित है) में 7.62×25 मिमी कारतूस न तो लोड किए जा सके और न ही उससे गोली चलाई जा

सकी। इस प्रकार, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के निष्कर्ष अभियोजन पक्ष के दावे का समर्थन नहीं करते।

61. हालांकि, 29.08.2022 के फैसले और सजा के आदेश के पैराग्राफ-72 में विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज निष्कर्षों और तर्कों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने बरामद देसी पिस्तौल पर कथित रूप से पाए गए गोली के अवशेषों, अर्थात् नाइट्रेट, सीसा और तांबे की उपस्थिति पर ही भरोसा किया और इसी आधार पर गलत तरीके से यह माना कि आरोपी-अपीलकर्ता पुनीत के कब्जे से बरामद विवादित देसी पिस्तौल (सामग्री प्रदर्श-4) से गोलीबारी की गई थी। विद्वान ट्रायल कोर्ट का यह निष्कर्ष फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के बिल्कुल विपरीत है। यदि इस संबंध में ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूसों की बरामदगी, जैसा कि पहले कहा गया है, संदिग्ध है और किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित नहीं है।

62. मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच करने पर, हमें पता चलता है कि आरोपी-अपीलकर्ता पुनीत के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। पुलिस घटनास्थल या आरोपी-अपीलकर्ता के कब्जे से कोई भी ऐसी वस्तु, सामान या सामग्री बरामद करने में विफल रही है जो उसे कथित अपराध से कानूनी रूप से जोड़ सके।

63. हत्या जैसे गंभीर और जघन्य अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने हेतु, अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करे, जिसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्य या साथ में देखे जाने का सिद्धांत भी शामिल हो, जो आरोपी को कथित अपराध से जोड़ता हो। अभियोजन पक्ष का यह दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपने मामले को संदेह से परे साबित करे।

64. हालांकि, अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों की जांच करने पर, हम पाते हैं कि आरोपी-अपीलकर्ता के विरुद्ध ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे उसे कथित अपराध से जोड़ा जा सके। निचली अदालत ने अभियोजन साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन और विश्लेषण किए बिना, केवल अनुमानों और अटकलों के आधार पर, अत्यंत लापरवाही और सतही ढंग से अपीलकर्ता को हत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया। निचली अदालत ने अभियोजन साक्ष्यों का उचित और कानूनी तरीके से मूल्यांकन और चर्चा नहीं की, बल्कि केवल अनुमानों और अटकलों के आधार पर अपीलकर्ता को कथित

अपराध का दोषी माना। निचली अदालत द्वारा आरोपी-अपीलकर्ता के विरुद्ध दोषसिद्धि और सजा का फैसला अत्यंत लापरवाही और सतही ढंग से दर्ज किया गया, यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी, जिसने धारा 313 सीआरपीसी के तहत आरोपी-अपीलकर्ता पुनीत का तथाकथित बयान दर्ज किया, ने आरोपी-अपीलकर्ता का कोई जवाब दाखिल नहीं कराया। इसका अर्थ यह है कि न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किए गए तथाकथित प्रश्न पूरी तरह से खाली हैं, प्रत्येक पृष्ठ पर केवल अपीलकर्ता के हस्ताक्षर हैं और प्रत्येक पृष्ठ पर पीठासीन अधिकारी/विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी अधिनियम (अत्याचार निवारण अधिनियम), गौतम बुद्ध नगर के आद्याक्षर हैं तथा अंतिम पृष्ठ पर दिनांक 21.04.2022 को हस्ताक्षर हैं।

65. माननीय ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 29.08.2022 को अभियुक्त-अपीलकर्ता पुनीत के विरुद्ध दोषसिद्धि और सजा का निर्णय सुनाते समय धारा 313 सीआरपीसी के तहत दर्ज अभियुक्त के बयान का अवलोकन नहीं किया और इस महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार करने में विफल रहा कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयान पूरी तरह से खाली है, क्योंकि उस समय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई उत्तर लिखा या दर्ज नहीं किया गया था।

66. उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, हमारा यह मत है कि दिनांक 29.08.2022 को अभियुक्त-अपीलकर्ता पुनीत के विरुद्ध धारा 302/34 आईपीसी और धारा 25/27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत पारित दोषसिद्धि एवं सजा का निर्णय विधि की दृष्टि से मान्य नहीं है। अतः, अभियुक्त-अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील स्वीकार की जानी चाहिए और दिनांक 29.08.2022 के दोषसिद्धि एवं सजा के निर्णय को रद्द किया जाना चाहिए।

67. तदनुसार, वर्तमान आपराधिक अपील स्वीकार की जाती है। गौतम बुद्ध नगर स्थित माननीय विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जनजाति अधिनियम) द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 536/2019 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पुनीत), जो अपराध संख्या 1025/2018, धारा 302/34 आईपीसी, पुलिस स्टेशन दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर से संबंधित है, और सत्र परीक्षण संख्या 537/2019 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पुनीत), जो अपराध संख्या 374/2019, धारा 25/27 शस्त्र अधिनियम, पुलिस स्टेशन दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर से संबंधित है, में दिनांक 29.08.2022 को पारित दोषसिद्धि एवं सजा का आदेश निरस्त किया जाता है।

68. अभिलेखों की जांच करने पर यह प्रतीत होता है कि आरोपी-अपीलकर्ता पुनीत जेल में है, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता पुनीत को तत्काल रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो।

69. निचली अदालत के अभिलेखों के साथ-साथ इस फैसले की प्रति तत्काल संबंधित न्यायालय को भेजी जाए।

70. इस फैसले की एक प्रति संबंधित जेल अधिकारियों को आवश्यक अनुपालन के लिए भेजी जाए।

(न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी) (न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय)

26 फरवरी, 2026

आदित्य